TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

. . . . .

NEW DELHI, THE 5.1.98

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following assets, as long term specified assets, for the purpose of the said section, namely :-

(i) debentures to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification by M/s. Koshika Telecom Limited not exceeding Rs. 20 crores transferable or convertible after seven years;

(ii) bonds to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification by M/s. Koshika Telecom Limited not exceeding Rs. 250 crores transferable or convertible after seven years.

Notification NO. 10496

(H. K. CHOUDHARY)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

(F. No. 178/28/97-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 98

अधिसूचना

(आयकर)

का0आ0सं0 (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54-ङ॰ ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित परिसम्पत्तियों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-

(i) मैसर्स कौशिका टेजीकॉम लि0 द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले 20 करोड़ रु0 से अनधिक राशि के ऋणपत्र जो सात वर्षों की अवधि के बाद हस्तांतरणीय अथवा परिवर्तनीय हैं;

(ii) मैसर्स कौशिका टेलीकॉम लि0 द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किये जाने वाले 250 करोड़ रु0 से अनधिक राशि के बन्धपत्र जो सात वर्षों की अवधि के बाद हस्तांतरणीय अथवा परिवर्तनीय हैं ।

अधिसूचना सं0 10456

(एच॰के॰ चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
(फा0सं0 178/28/97-आयकर नि0-1)

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली ।